

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

अजमेर

उपखण्ड अधिकारी

ल सिंह व अन्य

बनाम सरकार व अन्य

मुकदमा 88, 188 नम्बर 84/2012.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.2018	श्री पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित। राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 21.8.2012, 18.06.2013, 19.9.2013, 6.7.2016, 28.4.2017, 27.7.2018 की पालना में आज दिवस तक प्रतिवागण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किए गए हैं। जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 21.8.2012 के पश्चात लगभग पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 21.8.2012, 18.06.2013, 19.9.2013, 6.7.2016, 28.4.2017, 27.7.2018 की पालना नहीं की गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 27.7.18, को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 21.8.12 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 27.7.2018 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी

अजमेर  
उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर